न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 3210/विधि सहरसा, दिनांक 01-11-2023

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आपूर्ति पुन0 वाद सं0-18/2017 में दिनांक-31.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आपूर्ति अपील वाद सं0-04/2016-17 से संबंधित अभिलेख (कुल-26 पन्ना) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि :- मो0 विष्णुदेव यादव, पिता-रघुनी यादव, ग्राम पंचायत-उटेसरा, थना-सलखुआ, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

... उपस्थित उपभोक्ताओं ने 06 (छः) बोरा गेहूँ जो प्रति बोरा 60 कि0ग्रा0 के वजन में हाथ सिलाई के रूप में था को विष्णुदेव यादव द्वारा बेचने का आरोप लगाया गया। विष्णुदेव यादव दूकान से अनुपस्थित पाया गया और न ही कोई पंजी या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सलखुआ के प्रतिवेदन के आधार पर सलखुआ थाना कोड सं0-85/2016 प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा कालाबाजारी के आरोप में जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0-100/2008 को अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के ज्ञापांक 737-2 दिनांक 18.05.2016 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा के यहाँ अपील

सूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
31.10.23	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्याः–18/2017** **त्रिष्णुदेव यादव.....पुनरीक्षणकर्त्ता** **–बनाम–** **राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट** **–:: आदेश ::–** प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षण वाद विष्णुदेव यादव, पिता–रघुनी यादव, ग्राम पंचायत–उटेसरा, थाना–सलखुआ, सहरसा द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–04/2016–17, जिला पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 402–2 दिनांक 07.03.2017 द्वारा पारित आदेश जिसमें अपीलकर्त्ता के अपील को खारिज किया गया है के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दायर किया गया है। संदर्भित मामला संक्षेप में निम्न प्रकार है :– दिनांक 04.05.2016 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सलखुआ द्वारा ग्राम उटेसरा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री विष्णुदेव यादव के यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दूरभाष पर दिये गये निदेश के आलोक में निरीक्षण किया गया, जहाँ काफी संख्या में उपस्थित उपभोक्ताओं ने 06 (छः) बोरा गेहूँ जो प्रति बोरा 60 कि0ग्रा0 के वजन में हाथ सिलाई के रूप में था को विष्णुदेव यादव द्वारा बेचने का आरोप लगाया गया। विष्णुदेव यादव दूकान से अनुपस्थित पाया गया और न ही कोई पंजी या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सलखुआ के प्रतिवेदन के आधार पर सलखुआ थाना कोड सं0–85/2016 प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा कालाबाजारी के आरोप में जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0–100/2008 को अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के ज्ञापांक 737–2 दिनांक 18.05.2016 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा के यहाँ अपील	

दायर किया गया, लेकिन निम्न न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दिया गया।

पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि उटेसरा ग्राम पंचायत में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के रूप में 2008 से ही काम कर रहे है और कभी कोई शिकायत नहीं पाया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बिना किसी तहकीकात के बिना किसी कारण पृच्छा के असामाजिक तत्व ग्रामीण के दबाव पर कांड दर्ज किया गया, जिसे आधार बनाकर अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा अनुज्ञप्ति निलंबित करने का आदेश दिया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि नियत नियम के तहत किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध कोई शिकायत लाभुक द्वारा किया जाता है तो पहले कारण पृच्छा तथा उसके प्रत्युत्तर एवं पंजी संधारण से असंतुष्ट होने के वाद ही कोई कार्रवाई विक्रेता के विरूद्ध होना चाहिए। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा साजिश के तहत मेरे वहाँ उपस्थित रहने के बावजूद अनुपस्थित दिखाया गया तथा बरामद गेहूँ जिस ग्रामीण का था, उनको डाँट-डपटकर भगा दिया जाना सारी चीजें साजिश के तहत की गयी। साक्ष्य के तौर पर भंडारण पंजी की छायाप्रति एवं संधारण पंजी संलग्न किया गया है तथा जिस व्यक्ति का गेहूँ था उसका शपथ-पत्र भी संलग्न किया गया है, जिसे निम्न न्यायालय द्वारा अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता के दलील का खंडन किया गया तथा उनका कहना है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता विष्णुदेव यादव द्वारा 06 (छः) बोरा गेहूँ प्रति बोरा 60 कि0ग्रा0 हाथ सिलाई किया हुआ कालाबाजारी कर बेचने के क्रम में उपभोक्ताओं द्वारा पकड़ाया गया, जिस आलोक में सलखुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा अनुज्ञप्ति सम्यक आधार पर रद्द किया गया तथा समाहर्त्ता न्यायालय द्वारा भी सभी तथ्यों पर गौर करते हुए ही आदेश पारित किया गया जो बिल्कुल सही है साथ ही पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा सलखुआ थाना में दर्ज कांड से भी बरी होने के संबंध में कोई सूचना नहीं दिया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता एवं सरकार का पक्ष सुनने के उपरान्त एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोंपरान्त यह परिलक्षित होता है कि .....

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोंपरान्त यह परिलक्षित होता है कि निरीक्षण के क्रम में जन वितरण प्रणाली दुकान के संचालन में पायी गई गंभीर अनियमितताओं के लिए आरोपी डीलर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा आरोपी डीलर को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देते हुए अनुज्ञप्ति प्राधिकार द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई तथा समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा उक्त आदेश को यथावत रखा गया, जो सही है। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को सम्पुष्ट करते हुए इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

31/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

31/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।